

न्यायालय

तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

क्रमांक नम्बर 267/18 तारीख रजु 23/01/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का मैयरी बनाम
श्री शिवनाथ सिंह पुत्र कलु आ जाति कुर्ब निवासी समसपुर तहसील दौसा

अन्तर्गत धारा 91 राज.भू-अधिनियम 1956

निर्णय:-

दिनांक:- 20/2/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री शिवनाथ सिंह ने ग्राम समसपुर को भूमि ख.न. 435 रकबा 0.30 किस्म खरीफ फसल खरीफ रबि/खरीफ संवत् 20 74 में समसपुर कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 (3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जवाब में उसके द्वारा शपथ पत्र/प्रार्थना पत्र पेश कर अतिक्रमित रकबा को छोड़ने हेतु लिखकर दिया जो संलग्न पत्रावली किया गया है व मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 435 रकबा 0.30 किस्म खरीफ वाके ग्राम समसपुर से बेदखल किया किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 4.80 वा 50 गुणा 240 रु शास्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खडी फसल समसपुर को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को नष्ट/नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हो। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसुली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

तहसीलदार
तहसील-महवा (दौसा)

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया

रजिस्टर म/घ के पेज नं० 56 पर
वर्ष 2017-18 की राशि कायमी वसुली की जमा कायमी की
दिनांक 5/3/18 तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील-महवा